प्रेषक.

उपायुक्त, गुरूग्राम।

सेवा में

M/s GCC Infra, P-903-905, C-Wing, 9th Floor, JMD Megapolis Sector-48, Sohna Road, Gurugram

क्रमांक 32

/ एम0बी0

दिनांक 20/03/2023

विषय:-

Application for report under Aravali Notification for our site for Affordable Residential Plotted Colony measuring 10.625 Acres (License No. 5 of 2023 dated 11.06.2014 at Sector 88, Gurugram, Distt.-Gurugram.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, हरसरू व उप वन संरक्षक, गुरूग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:—

नायब तहसीलदार, हरसरू ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 2943 / रीडर दिनांक 13.03.2023 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली गई। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मौजा हरसरू उपतहसील हरसरू का राजस्व रिकार्ड से अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त मांगी गई रिपोर्ट बिन्दूवार निम्न प्रकार है:—

- 1. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा / कीला नम्बरान 55//13 14/1 15/1 14/3 18 19/1 23/2 8/2/1 8/2/2 9/1 9/2 7/2 8/1 5 6 7/1 10/2 11/2 12 20/2 दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
- 2. उपरोक्त अराजी कीला नम्बरान दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत / चकबन्दी तक कभी भी आराजी मुतनाजा की किस्म गैर मुमिकन पहाड़, गैर मुमिकन राडा, गैर मुमिकन बीहड़, बंजड़ बीहड या रूद्र नहीं रही है।
- 3. उपरोक्त अराजी कीला नम्बरान दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व अराजी मुतनाजा की किस्म चाही व पश्चात चाही व गैर मुमकिन है।
- 4. उपरोक्त अराजी मुतनाजा मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामलात देह/पंचायत देह/नगर पालिका/नगर निगम की मलिकयत नहीं रही है।
- 5. उपरोक्त अराजी मुतनाजा का किसी माननीय न्यायलय में केस बारे राजस्व रिकार्ड के खाना कैफियत में कोई इन्द्राज दर्ज नहीं है।
- 6. उपरोक्त अराजी भूमि SEZ(Special Econimical Zone) में नहीं आती है।
- 7. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नं0 पर धारा 4, 6 व अवार्ड आदि बारे राजस्व रिकार्ड के खाना कैफियत में कोई इन्द्राज नहीं है।
- 8. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान 55//13(8-0), 14/1(0-9), 15/1(0-8), 14/3(1-9), 18(8-0), 19/1(0-12), 23/3(7-5), 8/2/1(2-4), 9/1(4-0), 8/2/2(2-4), 9/2(4-0), 7/2(4-1), 8/1(3-12), 5(7-12), 6(7-12), 7/1(3-19), 10/2(6-12), 11/2(5-14), 12(8-0), 20/2(4-8) कीता 20 रकबा 90 कनाल 1 मरला सालम की बरूवे ईन्तकाल नम्बरान 5192—5193—5286—5325—5331—5352—5353—5369 व बदर नं0 6 मन्जूरशुदा की रूह से जी.सी.सी. इन्फ्रा मालिक है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 5475-G दिनांक 06.03. 2023 के द्वारा अवगत कराया है कि इस कार्यालय द्वारा ऑनलाईन दिनांक 01.04.2022 को 7.5687 एकड़ व 13.12.2022 को 3.25 एकड़ की (M/s GCC Infra, P-903-905, C-Wing, 9th Floor, JMD Megapolis Sector-48, Sohna Road, Gurugram) को Village Harsaru, Sector 88A, Gurugram की (7.5687+3.25=10.625 Acre) एरिया की फारेस्ट क्लेरिफिकेशन ऑनलाईन जारी की जा चुकी है।

जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant M/s GCC Infra., having Rect. No./Killa No. 55//8/2/1(2-4), 8/2/2(2-4), 9/1(4-0), 9/2(4-0), 55//7/2(4-1), 8/1(3-12), 55//5min(5-10), 55//6min(5-3), 55//7/1(3-19), 56//1/2/1(1-4) & 55//10/1(6-12), 11/2(5-14), 12(8-0), 20/1(4-8) Measuring land 7.5687 Acre (For Building Construction) And Rect. No./Killa No. 55//13(8-0), 14/1(0-9), 14/3(1-9), 15/1min(0-5), 18(8-0), 19/1(0-12), 23/3(7-5) Measuring land 3.25 Acre (For Affordable Plotted Colony Under Ddjay) Land located at Village Harsaru, Sector 88A, Gurugram made a proposal to use this land for Building Construction/Affordable Plotted Colony Under Ddjay. It is made clear that:-

- As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest A) under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue B) Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/ regularization C) under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. M/s GCC Infra, whose land is located at Village/city Harsaru, District Gurugram must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in D) areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the E) notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble F) Supreme Court/High Courts.
- It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, G) 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions H) under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 1) 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To The Conditions

Mentioned Above

अतः नायब तहसीलदार, हरसरू व उप वन संरक्षक, गुरूग्राम की रिपोर्ट अनुसार आपको Village Harsaru, Sector 88A, Gurugram की उक्त वर्णित भूमि (रिपोर्ट में वर्णित खसरा / कीला नम्बरान) की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्ते पर जारी की जाती है कि प्रार्थी कम्पनी को दी गई एन०ओ०सी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एन०ओ०सी० स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी।

कृतेः उपायुक्त, गुरूग्राम्।